C/123

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay
दमण / Daman-396 220

संख्या. राभा.1(5)/ व.हि.अनु.-भर्ती नियम/भाग-4/97-11/ 108 दिनांक 21 /06/2011

अ धि सू च ना

प्रशासक, दमण एवं दीव एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक एवं उसके साथ पठित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या.एबी/14017/61/2008-स्थापना(भर्ती नियम), दिनांक 24 मार्च,2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबन्ध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के राजभाषा विभाग में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग- 'ख' (अराजपत्रित, अलिपिकीय वर्ग) गैर संवर्ग पदों की भर्ती से संबन्धित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

(1) संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति एवं प्रारम्भ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दमण एवं दीव प्रशासन, राजभाषा विभाग, वर्ग-ख.(अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक पदों का भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) (ii) ये नियम इस नियमावली की अनुसूची (जिसे बाद में 'उक्त अनुसूची' के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के स्तम्भ- 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए प्रयुक्त होंगे और ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(3) पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान : इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ- 2 से 4 मे विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) अनहर्ता : ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसकी पत्नी / जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी / अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबन्ध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य हो, और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

(6) नियम शिथिल करने की शक्ति : जहाँ प्रशासक,दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबन्ध में शिथिल कर सकेंगे ।

(7) व्यावृत्ति : इस संबन्ध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं ऐसे ही व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रशासक, दमण एवं दीव के
आदेश एवं नामानुसार

(पी. एस. जानी)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)

c|122

प्रतिलिपि :

1. विकास आयुक्त, सचिवालय, दमण ।
2. वित्त सचिव, सचिवालय, दमण ।
3. प्रबन्ध निदेशक, ओ.आई.डी.सी. एवं सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव ।
4. विधि सचिव, सचिवालय, दमण ।
5. समाहर्ता, समाहर्तालय, दमण / दीव ।
6. सहायक निदेशक(राजभाषा), सचिवालय, दमण ।
7. उप निदेशक (योजना),सचिवालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने एवं कार्यालय रिकॉर्ड के लिए 05 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दमण को सरकारी वेबसाइट में अपलोड़ करने हेतु ।
9. कार्मिक विभाग,दमण की गार्ड फाइल ।
10. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल ।

AD/JHT/ RR/ 6

c/121

अनुलग्नक - I

दमण एवं दीव प्रशासन के राजभाषा विभाग में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक पदों के लिए भर्ती नियम

अ नु सू ची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	02 (दो) वर्ष,2011 कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग- 'ख' , (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	वेतन बैण्ड- 2 रू.9,300-34,800 + ग्रेड वेतन-4600/-	वरिष्ठता सह चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । सरकारी कर्मचारियों के लिए इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों व आदेशों के अनुसार आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट दी जायेगी । भारत में निवास कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का निर्धारण करने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल एवं स्पीति जिले एवं पंगी उप मण्डल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए यह निर्धारित अन्तिम तिथि नहीं है ।)

सीधी भर्ती के मामले में अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
7	8	9	10
(i) <u>सीधी भर्ती द्वारा</u> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रही हो ; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में रही हो **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय रही हों ; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से स्नातकोतर एवं स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रही हो ; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोतर एवं स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय रही हो । (ii) हिन्दी से अंग्रेजी में एवं विलोमत: अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो **अथवा** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासन के कार्यालयों में, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की संस्थाएं भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी एवं विलोमत: अनुवाद कार्य में 02 वर्षों का अनुभव हो । **वांछनीय** : हिन्दी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान ।	लागू नहीं	02 (दो) वर्ष । सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के मामले में	पदोन्नति द्वारा, इसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों मामले में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन किया जाएगा ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन क्या है ।	किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श किया जाना है ।
11	12	13
पदोन्नति द्वारा : - कनिष्ठ हिन्दी अनुवाद, जिन्होंने अपने ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा की हो ; टिप्पणी :- जहाँ अर्हक/ पात्रता पूरी करनेवाले कनिष्ठों के मामलों को पदोन्नति में लिया जाना हो, वहाँ वरिष्ठों के मामलों को भी विचार में लिया जाएगा; वशर्तें कि उन्होंने उक्त अर्हक/पात्रता सेवा की अर्धाधिक अपेक्षित अर्हक/पात्रता अथवा 02 वर्षों की सेवा जो भी कम हो, पूरी की हो; ,एवं जिन्होंने अर्हक/पात्रता पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परवर्ती उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए सफलता पूर्वक अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति द्वारा** : 1. केन्द्र सरकार / संघ प्रदेश के अधिकारी जो- (क) (i) अपने मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, अथवा (ii) नियुक्ति के बाद अपने ग्रेड में अथवा समकक्ष मूल संवर्ग / विभाग में वेतनमान रूपये.9300-34,800 में 05 वर्षों की नियमित सेवा की हो एवं (ख) कॉलम संख्या 07 में सीधी भती हेतु वर्णित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों। (फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हों, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु विचारार्थ नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ नहीं होगा । केन्द्र सरकार के उसी संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु आयु सीवा उम्मीदवारें से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।)	**वर्ग-ख, विभागीय चयन समिति :-** 1) वित्त सचिव, दमण एवं दीव, दमण - अध्यक्ष 2) प्रबन्ध निदेशक, ओ.आई.डी.सी.,दमण- सदस्य 3) समाहर्ता, दमण, -सदस्य 4) समाहर्ता, दीव - सदस्य 5) लेखा निदेशक, दमण - सदस्य 6) संबन्धित कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य	लागू नहीं ।

D/JHT/RR/ 7-8

(पी. एस. जानी)
संयुक्त सचिव(कार्मिक)

C/119

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay
दमण / Daman-396 220

No. O.L.1(5)/Part-4/Estt/2011/ 108 Dated; 21 /05/ 2011
06

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article-309 of the Constitution read with the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. AB/14017/61/2008-Estt.(RR), dated 24th March 2009 and all other powers enabling him in this behalf, the Administrator of Daman and Diu hereby makes the following rules relating to recruitment of General Central Service, Group-B, (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts of Non-Common Cadre of Senior Hindi Translator in the Official Language Department under the U.T. Administration of Daman and Diu namely ;

(1) Short title, application and commencement :

(i) These rules may be called the Administration of Daman and Diu Official Language Department Group-B (Non-Gazetted, Non-Ministerial) post of Senior Hindi Translator Recruitment Rules, 2011.

(ii) These rules shall apply to the posts specified in column-1 of the schedule to these rules (hereinafter called as the said schedule) and they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Number of Posts, Classification and Scale of Pay :
The number of posts, classification of the said posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

(3) Method of Recruitment, Age limit and other qualifications etc. :

The Method of Recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

(4) **Disqualification** : No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Contd..2/

(5) **Power to relax** : Where the Administrator of Daman and Diu is of the opinion that, it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(6) **Savings** : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, other Backward Class, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the
Administrator of Daman and Diu.

(P. S. Jani)
Joint Secretary (Personnel)

Copy to :

1. The Development Commissioner, Secretariat, Daman.
2. The Finance Secretary, Secretariat, Daman.
3. The Managing Director,OIDC and Secretary(Official Language), Daman & Diu
4. The Law Secretary, Secretariat, Daman.
5. The Collector, Collectorate, Daman / Diu.
6. The Assistant Director(Official Language), Secretariat, Daman.
7. The Deputy Director(Planning), Secretariat, Daman with a request to Publish it in Official Gazette and send 05 copies for Office record.
8. The District Informatics Officer, National Informatics Office, Daman for uploading on Govt. Website.
9. Guard file of Personnel Department, Daman.
10. Office Copy / Guard File.

AD/1(5)/RR/2

ANNEXURE - I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF **SENIOR** HINDI TRANSLATOR

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age Limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Hindi Translator	02 (2011) Subject to variation dependent of work load.	General Central Services, Group-B (Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300-34,800. + Grade Pay Rs.4600	Selection-cum-Seniority	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Govt. servants upto 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt ; Note 2: The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J& K State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any	Method of Recruitment – Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation / Absorption & % of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential : (i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at degree level ; **OR** Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at degree level ; **OR** Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at degree level **OR** Master's degree of a recognized University in Hindi medium and English as a subject at degree level ; **OR** Master's degree of a recognized University in English medium and Hindi as a subject at degree level ; (ii) A recognized diploma / Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa OR two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Govt. Offices including Govt. of India Undertaking. Note No. 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the SSC in case of candidates otherwise well qualified . Note No. 2 : The qualification(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the SSC in the case of candidates belonging to the scheduled caste or Scheduled tribes. If at any stage of selection, the SSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experiences are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **DESIRABLE :** Knowledge of Computer Operation both in Hindi and English.	Not Applicable	02 (Two) years for Direct recruits and promotees.	Promotion, failing which by Deputation, failing both by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion/Deputation/Absorption, grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Junior Hindi Translator with three year's regular service in the grade. NOTE ; Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite Qualifying/Eligibility Service by more than half of such Qualifying/Eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their Probation period for promotion to the next higher Grade alongwith their Junior who have already completed such Qualifying/Eligibility Service. **Deputation :** Officers of the Central Government /UTs - (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or **(ii)** with **05** years regular service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular bases in the Pay Band of Rs. 9300-20,200 +Grade Pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent Cadre/Department ; and (b) Possessing the Educational Qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7 (The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation /department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	Group ' B ' DPC. 1. Finance Secretary, Daman and Diu - Chairman 2. Managing Director, OIDC, Daman - Member 3. Collector, Daman - Member 4. Collector, Diu - Member 5. Director of Accounts, Daman - Member 6. Concerned Head of Office. - Member	Not Applicable.

(P S Jani)
Joint Secretary (Personnel)